

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार, समन्वय एवं जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक : प. 7(1)प्रसु/सम/अनु.-1/2016

जयपुर दिनांक : 14/09/2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय और जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा वर्तमान में सम्पादित किये जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में विभागीय पुर्ननिर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

- 8/9  
SS/CI  
11 87  
15 SEP 2017
1. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं इससे संबंधित परिवारों की जनसुनवाई के समस्त कार्यों का प्रशासनिक विभाग जन अभाव निराकरण विभाग होगा।
  2. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज का परिवर्तित नाम "निदेशक, पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन संयुक्त/विशिष्ट सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग" होगा।
  3. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज के अधीन सम्पादित होने वाले निम्न कार्यों का प्रशासनिक विभाग जन अभाव निराकरण होगा:-

(I) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम

(II) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम सेवाओं की अदायगी संबंधी कार्य,

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

अशोक जैन  
(अशोक जैन)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त जिला संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. रक्षित पत्रावली

पवन कुमार गोयल  
(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव